

20/6/19

कावणी पेसा वकील पसकार उपलियाल
बदल सुनी गई। धारणा फा अरेखः सीकार
फिया जाका यह आदेश रिये जाके
है, कि उक्त-पक्ष ग्राह मूरपुरा की
अभि लाविक ख. नं. 20 (फका 90) व
हात ख. नं. 42 के मोके एवं रिकार
की थमा- लिखित दूजाद के निम्नाप
परिण वनाये रहे।

कावणी कोलप सुमार की पाका
दूजाद मि. नं. 98/13 के लाभ में
संलग्न रहे।

निर्णय आज दि. 27/6/2019
के मेरे द्वारा लिखाया जाका विशु-ल
न्यायालय के लुनाम।

27/6/19
(निमनलाल भीठा)
R.A.S.